

भर्तीशाही : कौशल विकास संचालनालय का मामला, अनुभवी को अटकाया, अनुभवहीन की नियुक्ति

ये हैं विभाग के बड़े जिम्मेदार

चाहे जो करें, इनकी मार्जी



2009 की नियुक्ति में अनुभव का नियम था, लेकिन बिना अनुभव के कोई संचालक भला कैसे कोई नियुक्ति कर सकता है। फिर भी आप मामले के कागजात हमें दीजिए, हम इसे दिखावा लेंगे। वैसे भी हम अधिनस्थ अधिकारी हैं। इस बारे में संचालक ही अधिकृत रूप से कुछ बता सकती हैं।

पी.के. सोंगर,
संयुक्त संचालक, कौशल विकास संचालनालय



इस बारे में आप कुछ भी पूछते रहिए, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आपको इस नियुक्ति के मामले की जानकारी के लिए संयुक्त संचालक से सम्पर्क करना चाहिए।

डी.के. व्यास,
अधिकारी संचालक, कौशल विकास संचालनालय

एक्सपोज रिपोर्ट @ जबलपुर

कौशल विकास संचालनालय की ओर से प्रशिक्षण अधिकारियों की सीधी भर्ती में जमकर गोलमाल किए जाने का मामला सामने आया है। एक ओर नियमों की आड़ लेकर योग्य आवेदकों की राह रोकी गई, वहीं सांठ-गांठ से बिना अनुभव वालों की नियुक्ति कर दी गई। नवम्बर 2009 में विज्ञापन निकालकर विभिन्न ट्रेड के लिए

प्रशिक्षण अधिकारियों की सीधी भर्ती निकाली गई थी। इसकी परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित की गई। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित कर नियुक्ति प्रदान की गई, लेकिन इसी दौरान योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को नए-नए नियमों से किनारे कर पात्रता नहीं रखने वालों की भर्ती कर ली गई।

यह थी शर्तें

प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए हाई स्कूल एवं सम्बंधित विषय में आईटीआई डिप्लोमा, डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।

अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय थेट्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ऐक्षणिक, तकनीकी योग्यता के अंतिम वर्ष में शामिल आवेदकों के लिए यह कि जिनसे परिणाम आवेदन दियि के पूर्ण घोषित हो चुके हों, वे ही आवेदन करें।

अनुभव प्रमाण पत्र भर्ती विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।

अनुभव पूर्णकालिक होना चाहिए।

inside

सोना है
बेहद धरता

7. CINEMA
गोसिस

...विद्यापन
के शिकार...
3. MEGA
स्टेटी

दूरिया के क्षेत्र में
बनाएं कॉरियर
5. me.next...



साझी निखारे
व्यक्तित्व को...

9. परिवार

सच कहने का
साहस हो

स्ट अकबर के
दबाव में कह
कवि, संगीतज्ञ और
विद्वान थे लेकिन इन्हे के
कवि श्रीपति का उन्हें
विशेष ध्यान था। अन्य
सभी कवि सदा अकबर
का ही गुणगान करते थे
किंतु श्रीपति राम और
कृष्ण के अतिरिक्त और
किसी का गुणगान नहीं
करते थे। फिर भी
अकबर उन्हें सदैव
पुरुषार्थ व मेंट देते थे।
दूसरे दबावी श्रीपति से
बहुत ईर्ष्या रखते थे।...

विस्तृत पढ़ें...
पेज 11

वर्षाकाल में प्रतिबंधित रहता है मत्स्याखेट, शासन और ठेकेदार नहीं करते मछुआरों की मदद

जाल भी छीन ले जाते हैं

एक्सपोज रिपोर्ट @ जबलपुर

शासन के नियमों के अनुसार 16 जून से 16 अगस्त तक सभी नदियों, जलाशयों में मत्स्याखेट बंद रहता है। यह समय मछलियों के प्रजनन काल का होता है। इस दौरान दो महीने के लिए ठेकेदार मछुआरों को उनके भाग के भरोसे छोड़ देते हैं। जो मछुआरे अच्छी किस्मत और अथक प्रयासों के चलते कुछ बचत कर पाते हैं, वे तो जैसे-तैसे दिन काटते हैं, लेकिन अन्य के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। मजबूरी में कुछ मछुआरे जल डालते हैं, जिससे मछलियों के बीज को नुकसान पहुंचता है, वहीं ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर ठेकेदार के आदमी

मारते भी हैं और जाल भी छीनकर ले जाते हैं। बर्गी बांध के विशाल जलाशय से लगे एक दर्जन से अधिक गांवों में अधिकांश परिवार वर्षाकाल की तैयारियों में लगे हैं। इस दौरान ये देश-दुनिया से तो लगभग कट ही जाएंगे, बल्कि उनके लिए रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। मछुआरे मौसम बिगड़ने और सरकारी प्रतिबंध शुरू होने के पहले ही ज्यादा से ज्यादा बचत कर लेना चाहते हैं। शासन की ओर से इन्हें मात्र हजार रुपए की मदद देकर हाथ खींच लिए जाते हैं, जबकि ठेकेदार कोई सहायता नहीं देते। वर्षाकाल में उन्हीं लहरें उठने के कारण ये अपने गांवों से बाहर भी निकल नहीं पाते।



मछुआरों की आय में से प्रतिमाह 40 रुपए की कटौती की जाती है। 10 महीने की 400 रुपए की कटौती के आधार पर उन्हें दायी तीन गुना करके 1200 रुपए दिए जाते हैं। यह दायी वर्षा काल में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहने के दौरान उनके गुजारे के काम आती है।

आर.के. गुप्ता, प्रबंधक मत्स्य महासंघ

